राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 171 अक्टूबर 2013 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

उच्चतम न्यायालय के महिला वकीलों के अनथक प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अन्ततः इस वर्ष जुलाई में शीर्ष न्यायालय द्वारा बनाए गए मार्गनिर्देशों के अनुरूप, न्यायालय के परिसर में यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने के लिए महिला जागरूकता और शिकायत समिति गठित करने के लिए एक आदेश जारी किया।

न्यायालय के क्षेत्राधिकार में यौन उत्पीड़न और पीछा करने के बढ़ते मामलों के कारण महिला वकील उनके विरुद्ध होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने के लिए एक लम्बे समय से ऐसी समिति के लिए दबाव बना रहे थी।

यद्यपि न्यायालय ने स्वयं 1997 में विशाखा निर्णय देने के बाद सभी सरकारी और निजी संगठनों के समाधान के लिए ऐसी समितियां गठित करने के लिए आदेश दिया था, फिर भी

चर्चा में **शीर्ष न्यायालय की आंतरिक समिति**

न्यायालय ने स्वयं ऐसी शिकायत समिति की स्थापना नहीं की थी। इस निर्णय को शीघ्र लेने का कारण एक घटना थी जब एक सफाई कर्मचारी एक महिला एडवोकेट की, जब वह शौचालय में थी, फिल्म उतारते हुए पाया गया था।

समिति में कम से कम 7 और अधिकतम 13 सदस्य होंगे जिसमें उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीश होंगे। उनमें से एक समिति का अध्यक्ष होगा। अधिकांश सदस्य महिलाएं होंगी। समिति एक वर्ष की अवधि तक के लिए अपराधी का न्यायालय में प्रवेश को रोक सकती है और अपराधी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने की भी सिफारिश कर सकती है।

यह आशा की जाती है कि न्यायालय का यह निर्णय शीघ्र ही ठोस रूप लेगा और निश्चित तौर पर महिलाओं की शिकायतों का समाधान करेगा और न्यायालय के परिसर में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकेगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई जांच

- सदस्या हेमलता खेरिया ने मानसी प्रधान के साथ मिलकर समाचार पत्र की एक रिपोर्ट "ओड़िसा के नयागढ़ जिले में अल्पसंख्यक जनजाति लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार" जिसमें कथित तौर पर एक 16 वर्ष की जनजाति लड़की के साथ बलात्कार किया गया था, की जांच की। वह कटक के एक अस्पताल में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
- सुश्री खेरिया ने एक बधिर और गूंगी विद्यार्थी के साथ हुई बलात्कार की घटना, जिसमें एक इंस्पैक्टर के द्वारा एक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र में कथित तौर पर बलात्कार किया गया था, की भी जांच की। इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
- डॉ. चारू वलीखन्ना ने एक जांच समिति की अध्यक्षा के रूप में "दूरदर्शन के अधिकारी यौन उत्पीड़न में फंसे" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट, जिसमें कथित रूप से बताया गया है कि दूरदर्शन, दिल्ली के एक उच्च अधिकारी ने एक कनिष्ठ कर्मचारी का यौन शोषण किया, की जांच की।
- डॉ. चारू वलीखन्ना ने "जे.एन.यू. में एक अन्य महिला विद्यार्थी पर हमला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार, जिसमे बताया गया है कि एक 22 वर्ष की महिला विद्यार्थी पर जे.एन.यू. कैम्पस, नई दिल्ली में उसके दोस्त द्वारा हमला किया गया और छेड़खानी की गई, की जांच करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता की।
- स्वतः संज्ञान लेते हुए सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर ने सामाजिक कार्यकात्री मानसी प्रधान के साथ भी एक घटना की जांच की जिसमें ओड़िसा के लिंकन सुबिधी को बुरी तरह पीटा गया था जब वह एक अल्पवयस्क लड़की के विवाह को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सिफारिशों सहित एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।
- एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सदस्या प्रभावलकर ने मुम्बई पुलिस के साथ मिलकर एक घटना की जांच की जिसमें एक 17 वर्षीय लड़की पर एक व्यक्ति द्वारा एसिड से हमला किया गया था, जिसके विवाह के प्रस्ताव को लड़की ने ठुकरा दिया था। पीड़िता को ठाणे में थुंगा अस्पताल के आई.सी.यू. में दाखिल कराया गया है।

महिलाओं के लिए राज्य आयोगों का प्रशिक्षण

राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षाओं और सदस्य सचिवों के साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए सदस्या एडवोकेट निर्मला सामंत प्रभावलकर ने दिन के समय होने वाले विचार गोष्ठी के दौरान चर्चा हेतु लिए जाने वाले विषयों को रखा। उन्होंने नीतिगत मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य आयोगों के बीच नेटवर्किंग की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन पर चर्चा हुई : (1) राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग (2) महिलाओं के सांविधिक अधिकार और आंतरिक कन्वेंशन, सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू., महिलाओं की संरक्षा के लिए कानून (3) महिलाएं और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में भेदभाव; शिकायतों के समाधान की प्रक्रियाएं (4) मीडिया के साथ परस्पर संवाद में सावधानी और सतर्कता।

प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए सदस्या सचिव सुश्री के. रत्ना प्रभा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की नीतियों और कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए राज्य आयोगों और राज्य महिला आयोगों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने राज्य आयोगों को कार्य की पुनरावृत्ति को रोकने और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने के लिए राज्य महिला आयोग के साथ मिलकर सेमिनार अथवा विचार गोष्ठी आयोजित करने के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए कहा। यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को आयोजित करते समय राष्ट्रीय महिला आयोग गैर-सरकारी संगठनों को भी इसमें शामिल करे। उन्होंने आगे यह भी सुझाव दिया कि गैर-सरकारी संगठन कार्यक्रम आयोजित करने के प्रस्ताव राज्य महिला आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रस्तुत करें।

उन्होंने राज्य आयोगों को जोर देकर कहा कि वर्तमान कानूनों का पुनरीक्षण करके अपनी सिफारिशें राज्य सरकारों को प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विभिन्न महिला संबंधित कार्यक्रमों में कारपोरेट, विश्वविद्यालयों को शामिल किया जा सकता है क्योंकि वित्त पोषण सीमित है। महिला शिकायतकर्ताओं की सहायता करने के लिए कानूनी शिविर आयोजित करते समय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष

सदस्या प्रभावलकर विचार गोष्ठी सत्र को सम्बोधित करती हुई, सदस्या सचिव के. रत्ना प्रभा और संयुक्त सचिव सुनीता खुराना देख रही हैं

ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय महिला आयोग गैर-सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए कहे और राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य आयोगों के बीच आवधिक बैठकें होती रहनी चाहिए।

शिकायत प्रकोष्ठ से

- आयोग को श्रीमान एक्स से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी पुत्री पर उसके पति और सास-ससुर द्वारा घरेलू हिंसा की जा रही है। उसने गांधी नगर पुलिस स्टेशन, दिल्ली को कहा है कि उसका पिछले 2-3 दिनों से अपनी पुत्री के साथ सम्पर्क नहीं हो पाया है। इसके बाद एक पुलिस कांस्टेबल उसके साथ गया और शिकायतकर्ता की पुत्री को उसके पति के घर से, जहां उसके सास-ससुर ने ताले में बंद किया हुआ था, छुड़ाकर ले आया। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आयोग में सुनवाई हुई जहां शिकायतकर्ता की पुत्री ने आयोग से अनुरोध किया कि प्रतिवादी से उसकी दहेज की वस्तुएं और *स्त्रीधन* वापस दिलाया जाए क्योंकि वह अब अपना विवाह जारी नहीं रखना चाहती है। सदस्या शमीना शफीक के साथ उसकी पांच बार सुनवाई हुई। आयोग के हस्तक्षेप के कारण शिकायतकर्ता को उसकी सारी दहेज की वस्तुएं और *स्त्रीधन* और 4,90,000 रुपये पूर्ण और अंतिम समझौते के तौर पर मिले। अब दोनों पार्टियों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी है।
- सितम्बर, 2013 में राष्ट्रीय महिला आयोग के पास 1277 शिकायतें दर्ज हुई हैं।
- आयोग ने सितम्बर, 2013 में 22 मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया है।

शान्ति और अहिंसा में महिलाओं की भूमिका

महिला और बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल में "शान्ति और अहिंसा में महिलाओं की भूमिका और पुलिस, अर्द्ध सैनिक और सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी" पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सेमिनार का आयोजन किया। सेना, वायु सेना, नौ सेना, सीमा सशस्त्र बल, सीमा सुरक्षा बल, आर.पी.एफ. के प्रतिनिधि सेमिनार में उपस्थित हुए।

इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती गुरशरण कौर ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों से वह बहुत चिंतित हैं। उन्होंने पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों के सदस्यों से महिलाओं के प्रति, जो हिंसा और अत्याचार की पीड़ित हैं, संवेदनशील होने को कहा।

श्रीमती गुरशरण कौर प्रतिभागियों को सम्बोधित करती हुई

श्रीमती गुरशरण कौर दीप प्रज्जवलित करती हुई। सुश्री श्रीरूपा मित्रा चौधरी और श्रीमती ममता शर्मा देख रही हैं

श्रीमती ममता शर्मा श्रोताओं को सम्बोधित करती हुई

अपने भाषण में, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा ने महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए कहा, "यदि अहिंसा हमारे लिए कानून है तो भविष्य महिलाओं के साथ है।" उन्होंने कहा कि महिलाएं और बच्चे संघर्ष और हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित हैं और इसलिए पुरुषों और महिलाओं को शान्ति स्थापना में बराबरी का साझीदार होना चाहिए।

अन्य वक्ताओं में श्रीमती शमीना शफीक, सुश्री श्रीरूपा मित्रा चौधरी, सेना के जनरल, अर्द्ध सैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि आदि शामिल थे।

वक्ताओं ने इस बात को दोहराया कि सेना, नौ सेना, वायु सेना और अर्द्ध सैनिक बलों को महिलाओं के मानव अधिकारों का संवर्धन और संरक्षा करनी चाहिए। उन्हें सेना में अधिक महिलाओं की भर्ती करनी चाहिए और संघर्ष रोकने, सीमा पार मानव व्यापार रोकने, बलों को जागरूक बनाने और बलों और समुदायों के बीच सद्भावना सम्बन्ध बनाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। वक्ताओं ने निर्णय करने और शान्ति स्थापित करने के प्रयासों में महिलाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया।

सदस्याओं के दौरे

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डॉ. चारू वलीखन्ना पी.एच.डी. फेमिली वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा इनर व्हील डिस्ट्रिक 301 के साथ सहयोग से नई दिल्ली में 'बालिका का उत्थान' पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि थी। प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए डॉ. वलीखन्ना ने कहा कि फाउंडेशन स्लम और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्र में, निर्धन और वंचित समुदायों के लिए आय सृजन के कार्यक्रमों, कन्या भ्रूण हत्या के विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर दशकों से कार्य कर रहा है। वह कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के प्रावधानों पर भी बोली और कामकाजी महिलाओं को उपयुक्त कार्य वातावरण देने की आवश्यकता पर जोर दिया। ● सदस्या मध्य प्रदेश के रीवा में अरुणोदय समिति द्वारा आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रीवा उन जिलों में से एक है जहां भ्रूण हत्या के सबसे अधिक मामले हुए हैं। उन्होंने महिलाओं को जोर देकर कहा कि वे अन्याय का विरोध करें और हिंसा के विरुद्ध बोलें। कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले गैर-सरकारी संगठन को मौलिक कानूनी अधिकारों पर जोर देना चाहिए और विभिन्न महिला संबंधित कानूनों के अंतर्गत समाधान बताना चाहिए। ● डॉ. वलीखन्ना ऑल-इंडिया लीगल एड फोरम, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा 'भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण' पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि थी। ● डॉ. चारू वलीखन्ना कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन बॉर एसोसिएशन द्वारा कोनरड एडीनयूर स्टिफटुंग के साथ सहयोग से आयोजित सेमीनार में बोली। उद्घाटित सेमिनार में "बेहतर आजीविका स्थितियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और

डॉ. चारू वलीखन्ना कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में

सहायता का संवर्धन करने के निदेशक सिद्धांतों का कार्यान्वयन" पर चर्चा हुई।

❖ सदस्या हेमलता खेरिया ने उत्तराखंड में हरिद्वार में जिला जेल का दौरा किया। उन्होंने जेल में मूलभूत सुविधाओं को संतोषजनक पाया। उन्होंने महिला कैदियों के लिए कानूनी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता के बारे में जेल अधिकारियों से चर्चा की।

❖ महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय महिला आयोग ने बीकानेर पुलिस के साथ राजस्थान के बीकानेर में "पुलिस और जनता के बीच विश्वास बनाना" पर विचार गोष्ठी आयोजित की। जिसमें 300 पुलिस प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर ने कहा, "कानूनों के क्रियान्वयन प्राधिकारी के रूप में पुलिस के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं (i) महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों से उनकी रक्षा करना और (ii) कानून को कायम रखना और उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करना जो कानून तोड़ते हैं।" उन्होंने बलात्कार, यौन दुराचार, छेड़खानी और एसिड हमलों के मामलों से निबटने के लिए और आधुनिक फोरेंसिक साईंस उपकरणों के प्रयोग और सजा दिलाने के लिए पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनने की आवश्यकता पर जोर दिया। ● सदस्या स्त्री आधार केन्द्र गई जहां निर्धन और निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के 21 कैदी रहती हैं। उनमें से अधिकांश परित्यक्त अथवा निराश्रित महिलाएं हैं। सदस्या ने सिफारिश की कि कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को मानसिक रूप से मंद अथवा बेची गई महिलाओं से अलग रखा जाए। कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दिए जाएं। ● सदस्या वर्धा में पौनर आश्रम भी गई जहां "महात्मा गांधी के विचार और समाज के उत्थान में महिलाओं की भूमिका" पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सदस्या ने अपने भाषण में शान्ति, अहिंसा और दहेज, छूआछूत और नशाखोरी जैसे विषयों पर गांधीवादी दार्शनिकता पर प्रकाश डाला। ● सदस्या नागपुर और वर्धा में दो आश्रय गृहों में, जिसे राज्य महिला बाल विकास मंत्रालय चला रहा है, रह रही महिलाओं की स्थिति देखने गई और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए सुझाव दिया।

❖ आयोग की सदस्या शमीना शफीक ने विश्व एकता शिक्षा विभाग द्वारा लखनऊ में आयोजित 'नाबालिग बालिका के विरुद्ध हिंसा' विषय पर एक अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। ● सदस्या ने भारतीय मुस्लिम आंदोलन द्वारा मुम्बई में आयोजित एक बैठक में भाग लिया। ● फिक-रे-हिन्द संस्थापन के संस्थापक श्री मोहम्मद इद्रीसी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में भाग लिया। बैठक में साम्प्रदायिक हिंसा से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। विशेष रूप से महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध यह मांग की गई कि तत्काल प्रभाव से साम्प्रदायिक बिल को पास किया जाये। ● सुश्री शमीना शफीक अखिल भारतीय दलित विकास परिषद् द्वारा लखनऊ में आयोजित 'लिंग संवेदनशीलता के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण' विषय पर एक सम्मेलन में मुख्य अतिथि थी। सम्मेलन में मुख्य रूप से स्त्री भ्रूण हत्या, महिलाओं में कुपोषण और महिलाओं की वैवाहिक स्थिति पर चर्चा हुई। ● सुश्री शमीना शफीक ने वैष्णो नारी सेवा संस्थान द्वारा लखनऊ में आयोजित चुनी गई महिला प्रतिनिधियों के 'केपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम' में भाग लिय। ● सुश्री शमीना शफीक भारत विश्व संस्थापन द्वारा झाँसी में 'वेश्विक समाज में शांति और अहिंसा' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

सदस्या हेमलता खेरिया महिला कैदियों से बातचीत करते हुए

सदस्या निर्मला सामंत प्रभावलकर श्रोताओं को संबोधित करती हुई

सदस्या शमीना शफीक श्रोताओं को संबोधित करती हुई

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।